हाजिर नहीं। अत: अग्रीम सं. 1/22 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/7/24 को पेश हो।

25/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 6/8/24 को पेश हो।

6/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 3/9/24 को पेश हो।

3/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 6/9/24 को पेश हो।

9/9/24 पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी हाजिर। बहस अधि. प्रार्थी उभयपक्षीय सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल वाद वर्तमान का ही हमारी राय में दौराने वाद भूमि का बेचान करने पर भूमि पर वाद बाहुल्यता होगा, तथा प्रार्थी के हित प्रभावित होते हैं। अत: प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि ख.नं. 1262/529, 522/1095, 527/1096 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि पर दौराने वाद रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मियाद के कमरा हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर